

तथा शेष 11 अंशों में
प्लैट के छूट



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय-अवध विहार योजना
आफिस काम्प्लेक्स, पंचम तल, सेक्टर-9, वृन्दावन
योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025
Website: www.upavp.in, E-mail: avadhviharlko@upavp.com

पंजीकृत डाक द्वारा



पत्र सं०- 817

/ सं० प्र० अ० वि० य० / प्रदेशन पत्र / प्लैट सं०- 7D/E2-603 (2 BHK TYPE A) दिनांक-

प्रदेशन-पत्र

"अनन्तिम(* के अनुसार) "

सेवा में,

SRI/SMT/KM : KIRAN BALA
S/O/W/O/D/O : VIVEK SINGH
ADD-

: BUNGLOW-8M R.A. LINES MEERUT CANTT MEERUT-250001

महोदय / महोदया,

कृपया परिषद की अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद-पथ) लखनऊ में बहुमंजिली आवासीय परियोजना के सेक्टर-7डी में अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के अन्तर्गत सरयू एन्क्लेव में 2BHK TYPEA प्रकार के प्लैट हेतु "प्रथम आगत एवं प्रथम प्रदत्त योजनान्तर्गत" आपके प्रार्थना पत्र दिनांक-25-Mar-17 के क्रम में आपको पंजीकरण संख्या-344 के विरुद्ध प्लैट संख्या-7D/E2-603 आवंटित हुआ है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क-आवंटित सम्पत्ति का विवरण	7D/E2-603/ SARYU(2A)
1- आवंटित प्लैट की संख्या / श्रेणी	1077249
2- यूनिट आई.डी. संख्या	344
3- चालान संख्या	25-Mar-17
4- आवंटन / ड्रा की तिथि	59.22 व०मी०
5- प्लैट का वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल	78.52 व०मी०
6- प्लैट का सुपर एरिया	
ख- सम्पत्ति का कुल मूल्य	
1- प्लैट की निर्माण लागत	रु० 2303200.00
2- प्लैट में सम्मिलित समानुपातिक भूमि क्षेत्रफल 21.01 व०मी० का भूमि मूल्य	रु० 541200.00
3- फी-होल्ड शुल्क (12%)	रु० 65000.00
4- लोकेशन चार्ज (प्रथम @3%, द्वितीय तल @2% एवं तृतीय तल @1% तक)	रु० 0.00
	कुल मूल्य रु० 2909400.00

ग- जमा धनराशि का विवरण

1- जमा पंजीकरण धनराशि	रु० 121000.00
2- किश्तों के विरुद्ध जमा धनराशि	रु० 2294000.00
3- पूर्व में 60 दिनों के अन्दर भुगतान पर देय 2/5% की छूट की धनराशि	रु० 48300.00
4- कुल जमा धनराशि	रु० 2463300.00
5- अतिरिक्त ब्याज के विरुद्ध समायोजित की गयी धनराशि	रु० 0.00
6- अतिरिक्त ब्याज समायोजित करने के उपरान्त किश्तों के विरुद्ध जमा धनराशि	रु० 2463300.00
7- अतिरिक्त ब्याज के विरुद्ध असमायोजित धनराशि	रु० 0.00

शुद्ध देय धनराशि रु० 446100.00 जो दिनांक 30-Jun-21 तक ऐक्सिस/आन्ध्रा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई.डी./ई-चालान पर जमा कर रसीद प्रस्तुत करें।

नोट:-शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

138

दिनांक 30-Jun-21 तक जमा की जाने वाली धनराशियों का विवरण निम्नवत् है:-

घ- विविध शुल्क

अ- विविध शुल्क के मद में ऐक्सिस/आन्धा बैंक की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई.डी./ई-चालान पर जमा की जाने वाली धनराशि :-

1	विक्रय विलेख शुल्क	रु0	300.00
2	आइट प्लान शुल्क	रु0	100.00
3	अन्य शुल्क/विज्ञापन व्यय (@0.25)	रु0	7274.00
4	पुनर्जीवन शुल्क	रु0	0.00
5	पंजीकरण/फार्म शुल्क	रु0	500.00
	विविध शुल्क मद में जमा की जाने वाली कुल धनराशि	रु0	<u>8174.00</u>

ब- विविध शुल्क मद में जमा की जाने वाली कुल धनराशि पर देय जी.एस.टी @ 18% ऐक्सिस/आन्धा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई.डी./ई टैक्स चालान द्वारा जमा की जाने वाली कुल धनराशि

रु0 1471.00

स- माह जून 2017 तक देय किरातों की धनराशि पर 4.5 प्रतिशत की दर से देय सेवाकर की धनराशि

रु0 108675.00

माह जुलाई 2017 से अन्तिम किरात की धनराशि पर 8 प्रतिशत की दर से देय जी0एस0टी0 धनराशि

रु0 0.00

प्लैट के विक्रय मूल्य पर 8 प्रतिशत की दर से देय जी.एस.टी ऐक्सिस/आन्धा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई.डी./ई टैक्स चालान द्वारा जमा की जाने वाली कुल धनराशि

रु0 39552.00

कुल देय जी0एस0टी0/टैक्स की धनराशि

रु0 148227.00

द- E.E. C.D. LKO-8 UPVP SARYU ENCLAVE CORPUS FUND खाता संख्या:-56630100006188 IFSC CODE- BARBOVRILLIC बैंक ऑफ़ वल्लैदा शाखा चन्द्रावन लखनऊ की जाने वाली धनराशि:-

1-	रख रखाव शुल्क रु0 1.00 प्र0व0 फिट प्रति माह देय	रु0	845.00
2-	कार्पस फण्ड @ 3%	रु0	87282.00
3-	आजीवन सदस्यता शुल्क	रु0	1000.00
		रु0	<u>89127.00</u>

नोट : (1) जी0एस0टी0 की दर एवं प्लैट के मूल्य में अंकेक्षण के उपरान्त यदि अतिरिक्त देय धनराशि निकलती है, तो तदानुसार ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

(2) यदि पार्किंग हेतु इच्छुक है, तो अपनी सहमति यथाशीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करें। पार्किंग का आवंटन पंजीकरण पुस्तिका/परिचय नियमानुसार किया जायेगा।

भवदीय

M8

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृपे आवास आयुक्त

विक्रय विलेख हेतु वॉछित औपचारिकताएँ की पूर्ति दिनांक 30-Jun-21 तक किये जाने का विवरण:-

- 1- प्रदेशन पत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशियों की समस्त मूल रसीदें।
- 2- रु0 10/- का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आशवासन पत्र हेतु जमा करें।
- 3- राजपत्रित अधिकारी से दो अलग-अलग सादे कागज पर फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जिस पर प्रमाणित कर्ता अधिकारी के नाम एवं पदनाम की स्पष्ट मुहर अंकित हों प्रारूप भाँचे अंकित हैं एवं 03 नग पासपोर्ट साइज फोटोप्राक।
- 4- आवंटित प्लैट के विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु रु0 194000.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर मुख्य कोषाधिकारी/ई-स्टाम्प पेपर किसी भी लखनऊ स्थित बैंक से स्वयं के नाम से कय कर नियत विषय वस्तु को स्वयं टंकित कराकर प्रस्तुत करें। विक्रय विलेख का प्रारूप कार्यालय से पेन ड्राईव अथवा ई-मेल पर अथवा हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर शासनादेश के अनुसार परिवर्तनीय है।

5- उपरोक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशियाँ समयान्तर्गत न जमा किये जाने पर अतिरिक्त ब्याज 13.5% (11.5%+2%) की दर से देय होगा तथा निर्धारित तिथि तक वॉछित औपचारिकताओं पूर्ण न किये जाने की स्थिति में रु0 75.00 प्रतिदिन की दर से जमा करने की तिथि तक विलम्ब शुल्क भी देय होगा, जिसे आपको जमा करना होगा।

* आप द्वारा जमा की गयी धनराशि जो पृष्ठ संख्या 1 के बिन्दु संख्या "ग-2" में दर्शायी गयी है, यदि भिन्नता है, तो अपनी जमा रसीदों के साथ तीन दिन के भीतर कार्यालय दिवस में आकर मिलान अवश्य कराने का कष्ट करें। देय धनराशि की तिथि अपरिवर्तनीय है।

क्रमांक-3 के लिए प्रारूप-फोटो एवं हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु (दो नग)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....को मैं

पत्नी-भाति जानता व पहचानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते हैं।

- 1 हस्ताक्षर
- 2 हस्ताक्षर

फोटो
चिपकाय



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक, अवध विहार योजना
आफिस काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सेक्टर-9,
वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड़, लखनऊ-226025
website: www.upavp.com, e-mail: avadhviharlko@upavp.com

पंजीकृत डाक द्वारा

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०- 8782
सेवा में,

/स0प्र0/अवध विहार योजना/ माँग पत्र/

दिनांक- 25/03/12

GEN /

SRI/SMT/KM : KIRANBALA
S/O/D/O/W/O : VIVEK SINGH
ADDRESS : BUNGLOW-8 R.A. LINES MEERUT CANTT
DISTT : MEERUT
PIN CODE : 250001

मांग-पत्र

विषय:- परिषद की अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड़), शहीदपथ, लखनऊ के सेक्टर 7डी में अफॉडेबल हाउसिंग पालिसी के अन्तर्गत, "समाजवादी आवास योजना 2016" के अधीन सरयू एन्क्लेव में 2बी0एच0के0 टाईप-ए प्रकार के फ्लैट संख्या-7D/E1-603 के आवंटन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको हर्ष के साथ सूचित करना है कि परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के सेक्टर-7डी में अफॉडेबल हाउसिंग पालिसी के अन्तर्गत, "समाजवादी आवास योजना-2016" के अधीन सरयू एन्क्लेव में 2बी0एच0के0 टाईप-ए प्रकार में आपके प्रार्थना पत्र दिनांक-25.03.2017 के क्रम में आपको पंजीकरण/फार्म संख्या-0344 के विरुद्ध फ्लैट संख्या-7D/E2-603 का चयन/आवंटन हुआ है।

आपको पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना है :-

- | | | | |
|---|-------|-------|-----|
| (1) फ्लैट का अनुमानित विक्रय मूल्य | रु० | 24.15 | लाख |
| (2) फ्लैट का सुपर एरिया | 77.09 | वर्ग | मी० |
| निर्मित क्षेत्रफल. | 59.11 | वर्ग | मी० |
| (3) जमा पंजीकरण धनराशि | रु० | 1.21 | लाख |
| (5) पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा की जाने वाली धनराशि | रु० | 2.48 | लाख |
| (6) अवशेष धनराशि (11 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जाना है) | रु० | 20.46 | लाख |
| (7) प्रथम त्रैमासिक किश्त की धनराशि जो दि० 01.05.2017 से और अंतिम 11वीं त्रैमासिक किश्त दिनांक 01.11.2019 को देय होगी (प्रत्येक किश्त की देय अवधि त्रैमास के प्रथम दिनांक से त्रैमास के अन्तिम दिनांक तक देय होगी।) | रु० | 1.86 | लाख |

नोट:- अन्तिम मूल्यांकन प्राप्त होने के उपरान्त अंतिम प्रदेशन-पत्र निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

परिषद के प्रति विश्वास एवं अपनी
आत्मीयता हेतु आपको, धन्यवाद

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

(आर० के० सिंह)
सम्पत्ति प्रबन्धक

P.T

नियम एवं शर्तें

- (1) पंजीकरण/आबंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (2) मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम देय की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (3) आवेदकों को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर फ्लैट का सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य पर 2% प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
- (4) यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज $(11.5+2)=13.5\%$ प्रतिशत देय होगा।
- (5) यदि किसी आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी पत्रता चयन की तिथि से तीन माह के अन्दर वापसी हेतु आवेदन पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत एवं तीन माह पश्चात आवेदन पर पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के की जायेगी।
- (6) फ्लैट के मूल्य में कमी-वृद्धि होने पर प्रवेशन पत्र (Allotment Letter) द्वारा सूचित किया जायेगा।
- (7) पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदों के विरुद्ध देय धनराशि जमा करने की सूचना प्रवेशन पत्र (Allotment Letter) द्वारा दी जायेगी।
- (8) मांगपत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान "सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा हजरतगंज, लखनऊ " खाता संख्या 3242059457 " में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" लखनऊ शहर पर देय होगा।
- (9) बैंक में धनराशि जमा करते समय बैंक जमा चालान पर आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, आवेदन फार्म/फ्लैट संख्या, श्रेणी एवं सेक्टर का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, अवध विहार योजना, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025 में उपलब्ध कराना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
- (10) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि एवं सेवाकर का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- (11) किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे समस्त संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होंगी।
- (12) भवन के सुपर एरिया में परिवर्तन होने के फलस्वरूप लागत में जो परिवर्तन आयेगा उसे अन्तिम मूल्यांकन में समायोजित किया जायेगा।
- (13) किसी भी वाद/विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

शुभकामनाओं सहित।

website:www.upavp.com;E-mail: info@upavp.com

office E-mail - avadhviharlko@upavp.com/Tollfree No-1800-180-5333



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक-अवध विहार योजना

पंचम तल, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

website: www.upavp.in, e-mail: avadhviharlko@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०-

/सं०प्र०अवध विहार योजना/कब्जा पत्र/सरयू एन्क्लेव 2BHK फ्लैट संख्या-7D/E2-603 दिनांक- 16-06-21

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लखनऊ-08

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

अवध शिल्प ग्राम, अवध विहार योजना लखनऊ।

विषय:- अवध विहार योजना, लखनऊ में सरयू एन्क्लेव 2BHK TYPE-A फ्लैट संख्या-7D/E2-603 भौतिक कब्जा देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त योजना में श्रीमती किरन बाला को फ्लैट संख्या-7D/E2-603 प्रदिष्ट हुआ है, इस फ्लैट से सम्बन्धित किराया किश्त कय किरायेदारी अनुबन्ध/आवश्यक विलेखों का निष्पादन किया जा चुका है।

अतः कृपया उक्त फ्लैट का भौतिक कब्जा सम्बन्धित आवंटी को एक माह में देने की व्यवस्था करने एवं कब्जा देने के उपरान्त इन्वेन्ट्री की प्रति यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि आवंटी द्वारा निश्चित तिथि के अन्दर फ्लैट का कब्जा नहीं लिया जाता है तो निम्नलिखित दर से रख-रखाव (विलम्ब शुल्क) कब्जा की तिथि तक का आवंटी से लेना निर्धारित है।

1. फ्लैट हेतु रू० 75.00 प्रतिदिन की दर से।
2. फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्गमी०)

a. Super Area- 78.52 वर्गमी०

b. Built Up Area- 59.22 वर्गमी०

एक माह के उपरान्त कब्जा न लेने की दशा में सम्बन्धित अधिशायी अभियन्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा और तदानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्धक

कृते आवास आयुक्त

पृ०सं० 2145 /उक्त / तददिनांक:-

प्रतिलिपि:-श्रीमती किरन बाला पत्नी श्री विवेक सिंह निवासी-बंगला-8 आर०ए० लाइन्स, मेरठ कैंप, मेरठ उ०प्र० मोबाईल नं०-9412294642 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने फ्लैट का भौतिक कब्जा अधिशायी अभियन्ता निर्माण खण्ड लखनऊ-08 से निर्धारित तिथि के अन्दर अवश्य प्राप्त करें। कब्जा की प्राप्ति माह से आवंटी को कार्पस फण्ड (रख-रखाव) हेतु रू० 845.00 प्रतिमाह से बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा वृन्दावन लखनऊ के खाता संख्या-56630100006188 IFSC CODE-BARBOVRILUC में नियमित जमा करते रहना होगा।

नोट:-रख-रखाव शुल्क रू० 845.00 + कार्पस फण्ड रू० 87282.00 + आजीवन सदस्यता शुल्क रू० 1000.00 कुल धनराशि रू० 89127.00 कार्पस फण्ड खाते में नकद दिनांक-16.06.2021 को जमा किया गया है।

सम्पत्ति प्रबन्धक



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-8

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

एन्कर शाप नं०-1, 2, 3, अवध शिल्प ग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ

पत्रांक :

763

/ Y-457 800A / 113

दिनांक : 16/6/2021

सेवा में,

श्रीमती किरन बाला पत्नी श्री विवेक सिंह

निवासी-बंगला-8, आर०ए० लाइन्स,

मेरठ कैण्ट, मेरठ, उ०प्र०।

मो०नं०-9412294642

विषय:-अवध विहार योजना, लखनऊ में सरयू एन्क्लेव के 2BHK TYPE-A फ्लैट संख्या-7D/E2-603 का भौतिक कब्जा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना, लखनऊ के पत्र संख्या-2145/सं०प्र०/अवध विहार/दिनांक-16.06.2021 जो इस खण्ड कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में अवध विहार योजना, लखनऊ स्थित सरयू एन्क्लेव के 2BHK TYPE-A फ्लैट संख्या-7D/E2-603 का निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता क्रमशः श्री जय शंकर द्विवेदी (मो०नं० 8795810535) श्री जय नाथ मिश्रा (मो०नं० 8795810536) से सम्पर्क कर फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि एक माह में भौतिक कब्जा प्राप्त न करने की दशा में नियमानुसार रख-रखाव (विलम्ब शुल्क) रू० 75.00 प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी० के० सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक-

पृ०सं०

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सहायक अभियन्ता-प्रथम, निर्माण खण्ड लखनऊ-8, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अवध शिल्प ग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ।
2. श्री जय नाथ मिश्रा, अवर अभियन्ता निर्माण खण्ड लखनऊ-8, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को, सम्पत्ति प्रबन्धक, अवध विहार योजना, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र आवंटी की फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र सहित मूलरूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि आवंटी को कब्जा देने के पश्चात् इन्वेंट्री की कार्यालय प्रति के साथ सन्दर्भित कब्जा पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता